राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र सं.</u> 32 / 2018

1. चावली पत्नी गोकल उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी भावरिया तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज
2. कृष्णा पुत्री गोकल पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

........प्रार्थीयागण

ब–ना–म

1. गोकल पुत्र मंगलाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी भावरिया तन् सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
2. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री राजेश गुप्ता :– प्रार्थीयागण की ओर से
2. श्री हेमराज सिंह :– अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 06–10–2022**

प्रार्थीयागण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 492 रकबा 0.51 है., ख.नं. 848 रकबा 0.72 है., ख.नं. 908 रकबा 0.18 है., ख.नं. 909 रकबा 0.32 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. भूमि का अप्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 को उक्त वर्णित भूमि उसके पिता मंगलाराम से विरासतन में प्राप्त हुई है जो पैतृक भूमि है। प्रार्थीया सं. 1 अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी है तथा प्रार्थीया सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 की जायन्दा पुत्री है इस कारण पैतृक सम्पति में प्रार्थीयागण का जन्म से ही को–पार्सनर होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा है। प्रार्थीयागण वाद वर्णित भूमि पर काश्त करके अपना व अप्रार्थी सं. 1 का भरण पोषण करती है [illegible] आदि करवाती है तथा अप्रार्थीया सं. 1 उक्त भूमि में पैदावार करके ही प्रार्थीया सं. 2 [illegible] भात, छुछक भरती हैं। प्रार्थीया सं. 1 का पति व प्रार्थीया सं. 2 [illegible] गोकल 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो मानसिक रोगी है व शराबी है। अप्रार्थी सं. [illegible] घर खर्च के लिए रूपयों की कोई सद्भावना आवश्यकता नहीं है वह सिर्फ अपनी श[illegible] की पूर्ति के लिये ए[illegible] बबलेश आदि व अन्य लोगों के बहकावे में आकर उक्त पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द क[illegible] आमादा है तथा उक्त बबलेश आदि भी अप्रार्थी सं. 1 का शराबी होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीयागण की पैतृक भूमि को हड़पना चाहते हैं। अप्रार्थी सं. 1 को उक्त पैतृक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीया सं. 1 जो अप्रार्थी सं. 1 की पुत्री है का जन्म से ही हित निहित है तथा प्रार्थीया सं. 1 जो अप्रार्थी सं. 1 की विवाहिता पत्नी है इसलिये उसका भी हित निहित है तथा अप्रार्थी सं. 1 के साथ बराबर का हक व हिस्सा है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीया सं. 1 अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी व प्रार्थीया सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 की पुत्री व मंगला की पौत्री होने के कारण उनका भी पैतृक सम्पति में हक व हिस्सा है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा ही बनता है तथा शेष 2/3 हिस्सा प्रार्थीयागण का है जिसकी प्रार्थीयागण अपने को खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त वर्णित पैतृक सम्पति को बेचान, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम से दर्ज रिकार्ड के आधार पर उक्त पैतृक भूमि को बेचान, रहन, दान आदि कर देता है तो प्रार्थीयागण अपने हक व अधिकारों से व अपनी पैतृक भूमि से वंचित हो जायेगी जिससे प्रार्थीयागण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीयागण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने दावा विवादित भूमि वाके ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 492 रकबा 0.51 है., ख.नं. 848 रकबा 0.72 है., ख.नं. 908 रकबा 0.18 है., ख.नं. 909 रकबा 0.32 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. को किसी अन्य को बेचान, रहन, दान आदि ना करें व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें।

(ख) अप्रार्थी सं. 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यदि अप्रार्थी सं. 1 दौराने दावा विवादित भूमि ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 492 रकबा 0.51 है., ख.नं. 848 रकबा 0.72 है., ख.नं. 908 रकबा 0.18 है., ख.नं. 909 रकबा 0.32 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. की बाबत किसी प्रकार का विक्रय पत्र, दान पत्र, रहननामा या अन्य हस्तांतरण पत्र का दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु पेश करें तो उसे पंजीयन नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीयागण के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को स्वयं शांतिपूर्वक काश्त करके अपना व प्रार्थीया सं. 1 का भरण पोषण करता आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि से पैदावार करके ही प्रार्थीया सं. 1 की शादी करना, छुछक भरना तथा भात भरना आदि सामाजिक कार्य करता आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 को मानसिक रोगी व शराबी बताना कतई झूठा मनगढ़ंत है अप्रार्थी सं. 1 हष्ट पुष्ट व स्वस्थ चित व्यक्ति है तथा किसी प्रकार का कोई नशा आदि नहीं करता है। ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 492 रकबा 0.51 है., ख.नं. 848 रकबा 0.72 है., ख.नं. 908 रकबा 0.18 है., ख.नं. 909 रकबा 0.32 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. का अप्रार्थी दर्ज रिकार्ड खातेदार काश्तार है तथा प्रार्थीयागण ने गलत रूप से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है तथा उक्त भूमि में पैदावार करके प्रार्थीया सं 1 का भरण पोषण करता आ रहा है तथा प्रार्थीया सं. 1 की शादी करना, भात, छुछक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदि सामाजिक कार्य भी अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि की पैदावार से ही करता आ रहा है अप्रार्थी सं. 1 स्वस्थचित व्यक्ति है तथा किसी प्रकार का कोई नशा आदि नहीं करता है।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2072–2075 खाता सं. 97 व खाता सं. 98 में लाल स्याही से लगे नोट नामांतरकरण संख्या 957 दिनांक 10.01.2018 का अवलोकन किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को पक्षकारान के मध्य हुए आपसी सहमति खाता विभाजन से खसरा नंबर क्रमशः 492, 848, 908, 909 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है. जो स्व. मंगला से विरासतन में प्राप्त हुई है जिसका अप्रार्थी सं. 1 एकांकी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया सं. 1 अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी व प्रार्थीया सं. 2 पुत्री है। प्रार्थीयागण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 गोकल 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो मानसिक रोगी है व शराबी है। अप्रार्थी सं. 1 को घर खर्च के लिए रूपयों की कोई आवश्यकता नहीं है वह सिर्फ अपनी शराब की पूर्ति के लिये अन्य लोगों के बहकावे में आकर उक्त पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरासत में मिली है जिसका वह एकांकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 जरिये अधिवक्ता उक्त प्रकरण की पैरवी भी कर रहा है। प्रार्थीयागण का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी सं. 1 मानसिक रोगी है। अगर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीयागण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त भूमि पर जबरन उपयोग–उपभोग में बाधा कारित की जाती हैं तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थी सं. 1 को ही होगी। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:42:18 IST
Reason: SelfAttested